

# छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कापोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)



(ISO 9001:2015 Certified)

उद्योग भवन, प्रथम तल, रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492006

CIN: U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn No. 22AABCM6288N5ZY

दूरभाष : 0771-6621000, फ़ैक्स : 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc\_raipur@yahoo.com



## अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना (मैन्यूअल पद्धति)

निविदा क्रमांक 04/सीएसआईडीसी/का.अ./संभाग-03/2018-19

रायपुर, दिनांक 24/07/2018


मुहरबंद निविदाएं फार्म "ब" (आईटम दर) पर वांछित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली ई-पंजीयन के अंतर्गत पंजीकृत "अ" वर्ग विद्युत लाईसेंस ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 03/08/2018, अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-03, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र-01, तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी :-

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	व्यवसायिक परिसर, डंगनिया, रायपुर में एल.ई.डी. लाईट एवं विद्युत सामग्री प्रदाय कर लगाने का कार्य।	2.01 लाख	2000.00	रु. 750.00 (+ 18% GST रु. 135.00) कुल रु. 885.00	15 दिवस (वर्षा ऋतु सहित)	'द' एवं इससे उपर	आयटम दर

शर्तें :-

- कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य, उद्योग भवन, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.-01, तेलीबांधा, रायपुर में दिनांक 02/08/2018, अपराह्न 2.00 बजे तक नगद भुगतान कर, कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-03, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा आवेदन के साथ एकीकृत पंजीयन प्रणाली की प्रति, पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं अ वर्ग विद्युत लाईसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पश्चात् ही कार्यदेश जारी किया जावेगा साथ ही भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3(1) के अंतर्गत निर्माण कार्य Construction Work पर 1% उपकर (शेष) देय होगा एवं अधिनियम की धारा '07' के अंतर्गत श्रम विभाग से ठेकेदार को उनके अधीन कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक रूप से किया जाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार निविदा प्रपत्र पेज क्रमांक 32 क्लास क्रमांक 7.2 के अनुसार जी.एस.टी. लागू होगा।
- उल्लेखित कार्य पूर्ण करने की अवधि से 1 वर्ष (12 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना है। जिसके लिए कार्य की संपूर्ण लागत की 5% राशि Performance Guarantee के रूप में रोकी जावेगी, तथा वह राशि सफलतापूर्वक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।
- अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का एफ.डी.आर. जो कि प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- निविदायें निगम (कार्यपालन अभियंता, संभाग-03) की निविदा पेट्टी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

कार्यपालन अभियंता, संभाग-03

  
24/07/18